

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी राजपाल सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह जाति जटसिख आयु 45 वर्ष निवासी खाराचक किलावाली तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल रसीद, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे ताया श्री दरबारा सिंह पुत्र काहन सिंह निवासी किलावाली तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 14.08.2020 को वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 19.10.2020 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 14.08.2020 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाह जगतार सिंह पुत्र जगराज सिंह एवं बलतेज सिंह पुत्र मेजर सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री फलभूर सिंह बराड अधिवक्ता ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

2021/106

28/7/21

4/10/21

I by me

Smul
28/7/21